

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-603 / 2004
 संस्थित दिनांक-21.07.2004
 फाईलिंग नं.-234503000512004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

राजेन्द्र उर्फ दुसकू पिता गेंदलाल उम्र-37 वर्ष,
 निवासी ग्राम सोनपुरी थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.) ----- आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक-21/07/2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-454, 380 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-30.06.2004 को 16:00 बजे ग्राम सोनपुरी अंतर्गत आरक्षी केन्द्र रूपझर में कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रार्थी चंदुलाल के मकान जो कि संपत्ति के अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सांकल खोलकर प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया तथा प्रार्थी चंदुलाल के मकान के अन्दर रखी लकड़ी की पेटी का कुंदा तोड़कर उसमें गल्ले में रखे 1,000/- रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चंदुलाल ने दिनांक 07.07.2004 को पुलिस चौकी उकवा अंतर्गत थाना रूपझर में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सोनपुरी में रहता है। दिनांक 30.06.2004 को उसकी पत्नी मायके गई थी और वह मजदुरी करने गया था और उसका पुत्र, पुत्री खाना खाने के बाद उनके पुराना मकान बस्ती में है चले गये थे। उसके घर का दरवाजा बंद था, तब करीब 12:00 बजे उसकी पुत्री संतोषी घर आई तो उसने देखा कि उसके घर के पीछे के दरवाजे की सांकल खुली हुई थी और लकड़ी का संदूक खुला हुआ था। जब वह शाम 04:00 बजे अपने घर गया, तब उसकी पुत्री ने घटना के विषय में उसे बताया। उसके गल्ले में रखे 1,000/- रुपये चोरी हो गये थे। आसपास उसने पता किया तब उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना

रूपझर में दर्ज कराई थी। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना रूपझर द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-172/04, धारा-454, 380 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-454 एवं 380 के अन्तर्गत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भा.द.वि. की धारा 454, 380 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी का अभियुक्त परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत किए जाने पर उसने अपने कथन में स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक-30.06.2004 को 16:00 बजे ग्राम सोनपुरी अंतर्गत आरक्षी केन्द्र रूपझर में कारावास से दण्डनीय अपराध चोरी करने के आशय से प्रार्थी चंदुलाल के मकान जो कि संपत्ति के अभिरक्षा के उपयोग में आता है में सांकल खोलकर प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रार्थी चंदुलाल के मकान के अन्दर रखी लकड़ी की पेटी का कुंदा तोड़कर उसमें गल्ले में रखे 1000/- रुपये को बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष:-

5- साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के आशय से दोनों ही विचारणीय बिंदुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6- अभियोजन साक्षी चंदु अ.सा.1 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना उसके कथन देने के एक-डेढ़ साल पूर्व की है। घटना दिनांक को वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था और घर पर ताला लगा दिया था, उसके बच्चे उसके पिता के घर गये थे। लगभग 12 बजे उसके बच्चे घर आये तब उन्होंने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था और कपड़े,

सामान बिखरा हुआ था। शाम 04 बजे वह और उसकी पत्नी जब घर आये तब उसने पेटी का ताला टूटा हुआ देखा था, उसमें रखे हुए एक हजार रुपये की चोरी हुई थी। आसपास तलाश करने पर पता नहीं चलने पर उसने बाद में पुलिस चौकी उकवा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्र.पी.01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को जांच में घटनास्थल बताया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बाद में उसे पता चला था कि आरोपी ने चोरी की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसने आरोपी को चोरी करते हुये नहीं देखा था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब चोरी हुई थी तब उसे जानकारी नहीं थी कि चोरी किसने की है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

7— अभियोजन साक्षी कौशलबाई अ.सा.2 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के एक-दो वर्ष पूर्व की है। वह घटना दिनांक को अपने मायके गई थी और उसका पति मजदूरी करने गया था। उसके बच्चे उसके ससुर के घर गये थे। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर के पीछे के दरवाजा को खोलकर संदूक से 1000 रुपये की चोरी की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना के समय उसे यह नहीं पता था कि किसने चोरी की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उसके घर चोरी नहीं हुई थी और उसके पति ने चोरी की झूठी रिपोर्ट की थी।

8— अभियोजन साक्षी कु0 संतोषी अ.सा.3 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना उसके कथन देने के डेढ़ वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसके पिता एवं उसकी माँ रेंज ऑफिस गये थे। वह अपने भाई के साथ अपने दादा के घर गई थी। लगभग 12 बजे जब वह अपने घर वापस आई तो देखी कि घर के पीछे के दरवाजे का सांकल खुला था। यह बात उसने अपने पिता को बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि संदूक में रखे 1000 रुपये उसने नहीं देखे थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि उसके घर पर चोरी नहीं हुई थी।

9— अभियोजन साक्षी चैतराम अ.सा.4 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसके सामने आरोपी से पुलिसवालों ने पूछताछ की थी और आरोपी ने उसके पुत्र के घर में चोरी करना स्वीकार किया था। साक्षी ने इस बात की जानकारी न होना कहा है कि आरोपी ने बताया था कि उसने अपने घर में 100 रुपये के तीन नोट छुपाकर रखा है। पुलिस ने मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी के घर से 100 रुपये के तीन नोट उसके समक्ष जप्त किये थे और जप्ती पत्रक प्र.पी.04 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जांच के समय पुलिस ने मौका नक्शा प्र.पी.2 तैयार किया था, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जिस दिन चोरी हुई थी उसी दिन आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की थी। मेमोरेन्डम कथन दिनांक 07.07.2004 को लेख किया जाना प्र.पी.03 के अनुसार दर्शित है। जबकि चोरी की घटना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अनुसार दिनांक 30.06.2004 को होना लेख है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने 100 रुपये के तीन नोट छिपाकर रखने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.04 पर उसने थाने में हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र.पी.04 की कार्यवाही थाने में हुई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया गया है कि पुलिस के बताने पर आरोपी से 100 रुपये के तीन नोट जप्त होना बता रहा है। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं जिससे साक्षी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

10— अभियोजन साक्षी बाबूलाल अ.सा.5 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसके सामने चोरी नहीं हुई थी। वह चंदुलाल के साथ काम करता है। उसे उसके बच्चों ने बताया था कि चंदुलाल के घर पर चोरी हुई है। शक के आधार पर आरोपी राजेन्द्र को पकड़ा गया था। उसके सामने चोरी के दूसरे दिन 300 रुपये आरोपी के जेब से निकाले गये थे। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उसके सामने चोरी करना स्वीकार किया था। पुलिस ने उसके सामने आरोपी

को गिरफ्तार नहीं किया था। साक्षी ने कहा है कि संपत्ति की जप्ती की कार्यवाही चौकी में की गई थी और उसने प्र.पी.04 पर चौकी में ही हस्ताक्षर किया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने आरोपी को चोरी करते हुये नहीं देखा था।

11— अभियोजन साक्षी सुखदेव अ.सा.6 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक 30.06.2004 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर उसने शून्य पर अपराध पंजीबद्ध किया था जो प्र.पी.01 है जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने विवेचना में साक्षियों के सामने आरोपी का मेमोरेन्डम कथन लेख किया था जो प्र.पी.03 है जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने मेमोरेन्डम कथन में बताया था कि उसने दिनांक 30.06.2004 को फरियादी के संदूक को तोड़कर 1000 रुपये की चोरी की थी। आरोपी ने यह भी बताया था कि उसने 100 रुपये के तीन नोट छावनी में रखे थे। मेमोरेन्डम कथन के आधार पर साक्षियों के सामने आरोपी से 300 रुपये जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.04 बनाया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौका नक्शा प्र.पी.2 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने गवाह चंदूलाल, कौशलबाई, कु0 संतोषी, मनोज, संदीप के कथन उनके बतायेनुसार लेख किये थे। उसने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.5 बनाया था जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर थाना प्रभारी के माध्यम से चालान की कार्यवाही की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि मौका नक्शा प्र.पी.02 थाने में बैठकर बनाया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि संपत्ति जप्ती की कार्यवाही थाने में बैठकर की गई थी।

12— अभियोजन कहानी के अनुसार फरियादी चंदूलाल अ.सा.01 के घर में चोरी हुई थी जिसकी उसने रिपोर्ट लेख कराई थी। यह रिपोर्ट घटना दिनांक 30.06.2004 के 07 दिन पश्चात दिनांक 07.07.2004 को पुलिस चौकी उकवा में दर्ज कराई गई थी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 पर विचार किया जावे तो चोरी की घटना के 07 दिन विलंब से चोरी की रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई गई थी

इसका युक्तियुक्त कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख नहीं है। अभियोजन साक्षी चंदुलाल अ.सा.01, कौशलबाई अ.सा.02, कु0 संतोषी अ.सा.03, चैतराम अ.सा. 04 एवं बाबूलाल अ.सा.06 ने कहा है कि उन्होंने आरोपी को चोरी करते हुये नहीं देखा था। इस प्रकार आरोपी द्वारा फरियादी के घर में प्रच्छन्न गृह अतिचार किया गया हो, इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है। अब देखना यह है कि क्या आरोपी के द्वारा ही घटना दिनांक को फरियादी के घर में रखे संदूक से 1000/- रुपये की चोरी की गई थी।

13— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। विवेचक साक्षी प्रधान आरक्षक सुखदेव अ.सा.06 ने आरोपी राजेन्द्र का मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 लेख किया था जिसमें उसने बताया था कि फरियादी के घर चोरी की थी और 300 रुपये अपने घर पर छिपाकर रखे थे। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 पर विचार किया जावे तो मेमोरेन्डम कथन के साक्षी बाबूलाल अ.सा.05 ने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि आरोपी का मेमोरेन्डम कथन तैयार किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने फरियादी के घर चोरी की थी। इसके पश्चात पुलिस ने जप्ती की कार्यवाही प्र.पी.04 अनुसार की थी। जप्ती पत्रक प्र.पी. 04 के अनुसार आरोपी के घर से की जाना लेख है जबकि प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपी से 300 रुपये थाने में जप्त किये थे। यह भी कहा है कि उसने प्र.पी.04 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी चैतराम अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में एवं प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किये हैं। यदि जप्ती पत्रक प्र.पी.04 का अवलोकन किया जावे तो आरोपी राजेन्द्र के घर में जप्ती की कार्यवाही किया जाना दर्शित होती है। जबकि साक्षी बाबूलाल ने पुलिस द्वारा कार्यवाही थाने पर किया जाना स्वीकार किया है। आरोपी द्वारा मेमोरेन्डम कथन दिये जाने के पश्चात ही आरोपी के पास से 300 रुपये जप्त करने की कार्यवाही की गई थी। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.03 के साक्षी चैतराम अ.सा. 04 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके सामने आरोपी ने अपने घर में 100 रुपये के तीन नोट छिपाकर रखने वाली बात नहीं बताई थी। इसलिये संपूर्ण मेमोरेन्डम एवं जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद प्रतीत होती है। घटना की विलंब से

रिपोर्ट दर्ज कराये जाने से संपूर्ण घटना के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी राजेन्द्र को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतः आरोपी राजेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-454 एवं 380 के अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्तशुदा 300/- रुपये के विषय में अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने यह राशि उससे जप्त किये जाने से इंकार किया है। अतः जप्तशुदा 300/- रुपये अपील अवधि पश्चात शासन के पक्ष में राजसात की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

बैहर
दिनांक-21.07.2016

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट